

10	चेकबुक शुल्क/ प्रकार	
	1-चालु अमानत प्रति चेकबुक	100.00
	2-बचत अमानत पर प्रति चेकबुक	60.00
	3- खुदरा चैक (प्रति चैक)	5.00
11	(अ) बाहरी चेक/ ड्राफ्ट संग्रहण की सेवा शुल्क दरे	
	1-500 रूपये तक	50+वा.डा.व्यय
	2-501.00 रु. से 1000.00 रु. तक	50+वा.डा.व्यय
	3-1001.00 से 5000.00 रु. तक	50+वा.डा.व्यय
	4-5001.00 से 10000.00 रु. तक	50+ वा.डा.व्यय
	5-10000.00 रु. से अधिक पर	2.00 प्रति हजार वास्तिक डाक व्यय
	6-1000000 (दस लाख तक)	-/-
	7-1000000 लाख से अधिक	-/-
	(स) ड्राफ्ट कमीशन पे-आर्डर की सेवा शुल्क दरे	-/-
	1. 1.00 रु. से 500.00 रु. तक	20.00
	2. 501.00 रु. से 1000.00 रु. तक	25.00
	3. 1001.00रु. से 5000.00 रु. तक	50.00
	6. 100000.00 रु. से अधिक पर	3.00 रु. प्रति हजार
	7- 1000000.00 लाख तक	-/-
	8-1000000.00 लाख से अधिक	-/-
	9. बैंकर्स चैक	-/-
	उपरोक्त कमीशन दरे उन्ही स्थानो पर लागू होगी जहां बैंक द्वारा बैंक/ड्राफ्ट जारी करने की सुविधा होगी। इसके अलावा यदि कोई ग्राहक अन्य स्थानो पर ड्राफ्ट कय करना चाहता है तो व्यवसायिक बैंक के कमीशन पर 25.00 रु. सेवा शुल्क लेकर ड्राफ्ट दिया जा सकता है।	न्यू रु. 30.0रु. 10000.00 तक एवं 10000.00 से अधिक पर 1.00 रु. प्रति हजार अधिकतम 500.00
12	डुप्लीकेट चेक, ड्राफ्ट व अमानत रसीद जारी करने पर सेवा शुल्क	75.00
13	ड्राफ्ट चेक की तारीख बढ़ाने पर सेवा शुल्क	75.00
14	ड्राफ्ट चेक निरस्त करने पर सेवा शुल्क	75.00(कमीशन वापिस नहीं किया जावेगा)

15	चेक ड्राफ्ट की वापसी पर सेवा शुल्क	
	1. स्थानीय चेक ड्राफ्ट पर सेवा शुल्क	150.00
	2. बाहरी चेक ड्राफ्ट पर सेवा शुल्क	150.00
	3. समाशोधन गृह चेक रिटर्न शुल्क	150.00
16	पीडीएस मार्केटिंग के लिये बैंकर्स चेक का कमीशन	
	1-रु. 501.00 से 1000.00 तक	50.00
	2- रु. 1001.00 से रु. 10000.00 तक	50.00
	3- 10001.00 से रु. 50000.00 तक	50.00
	4-रु. 50001.00 से रु. 100000.00 तक	100.00
	5- रु. 100000.00 से अधिक तक	0.75 पैसे प्रति हजार

उपरोक्त दरो के अतिरिक्त CGST, SGST नियमानुसार लिया जायेगा।

प्रबंधक  
Bande

देवास, दिनांक : 07.09.2018

क्रं./लेखा/2018-19/2283

प्रतिलिपि :-

01. उपायुक्त सहकारिता एवं उपपंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला देवास।
02. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्या. भोपाल।
03. सभागीय शाखा प्रबंधक म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित शाखा भरतपुरी उज्जैन।
04. कक्ष प्रमुख सीबीएस कक्ष प्रधान कार्यालय देवास की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
05. सावधिक अकेंक्षक एवं सतत् अकेंक्षक की ओर सूचनार्थ।
06. कक्ष प्रमुख समस्त कक्ष प्रधान कार्यालय देवास की ओर सूचनार्थ।



प्रबंधक

Bande